न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

आदेश पत्रक ता. 07.08.2025

जिला - गिरिडीह केस नं. .....67/2025 (भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत)

बड़कु तुरी वगैरह -बनाम- सुरेन्द्र तुरी वगैरह

(भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 उपधारा 4)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
(9). 07.08.2025	आवेदक, प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत समर्पित आवेदन के आलोक में वादगत भूमि की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अंचल अधिकारी, डुमरी तथा थाना प्रभारी, डुमरी को निदेशित किया गया। थाना प्रभारी, डुमरी के थाना ज्ञापांक 866/25 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा आवेदित भूमि के संबंध में स्थलीय जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें वादगत भूमि पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया। थाना प्रभारी, डुमरी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वादगत भूमि जिसकी विवरणी नीचे अंकित है, पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधित करते हुए वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। **— वादगत भूमि की विवरणी —** **मौजा : परसाबेड़ा, थाना नं० 65, खाता नं० 35, प्लॉट नं० 194, रकवा: 2ए० के मध्ये 31डी० प्लॉट नं० 195, रकवा: 1ए० के मध्ये 19डी० तथा प्लॉट नं० 196, रकवा: 2ए० के मध्ये 6डी.** थाना प्रभारी, डुमरी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि पर द्वितीय पक्षकारों के द्वारा नींव खोदकर चारदिवारी देने का कार्य किया जा रहा है। विवादित जमीन को दोनों पक्ष अपना अपना होने का दावा कर रहे हैं। इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कभी भी आपस में मारपीट, खून–खराबा कर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जिससे विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। उभय पक्षों के बीच विवादित भूमि को लेकर व्याप्त तनाव के कारण भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई करने का अनुशंसा किया गया है। इस वाद में निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। वादगत भूमि के संबंध में द्वितीय पक्ष के द्वारा कारणपृच्छा एवं दस्तावेजों की छाया प्रति समर्पित किया गया। इस वाद में सुनवाई के दौरान हीं द्वितीय पक्ष, सुरेन्द्र तुरी, के द्वारा वादगत भूमि मौजा: परसाबेड़ा, थाना नं० 65, खाता नं० 35, प्लॉट नं० 194, रकवा: 35 डी० तथा प्लॉट नं० 197, रकवा: 27 डी० भूमि पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से वाद आवेदन दायर किया गया। जिसकी जाँच–पड़ताल अंचल अधिकारी, डुमरी एवं थाना प्रभारी, डुमरी से कराई गई। अंचल अधिकारी, डुमरी के कार्यालय पत्रांक 612	

दिनांक 19.07.2025 तथा थाना प्रभारी, डुमरी के थाना ज्ञापांक 1047/25 दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अलग से एक ही भूमि पर साथ-साथ वाद संचालित करना विधिपरक नही है। चूंकि वादगत भूमि के संबंध में पूर्व से ही यह वर्तमान वाद संचालित है, अतएव द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन को भी इस वाद का हिस्सा मानते हुए सुनवाई जारी रखा गया।

—— विचारण एवं आदेश ——

इस वाद में सुनवाई के दौरान उपस्थित उभय पक्षकार तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरान्त तथा अंचल अधिकारी डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादगत भूमि खतियानी रैयती भूमि है। प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से हासिल होने की बात कही जा रही है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में निबंधित दस्तावेज से संबंधित निबंधन कार्यालय हजारीबाग से निर्गत इन्डेक्स की सत्यापित प्रति एवं एक पुरान अपठनीय लगान रसीद संख्या 192556 प्रस्तुत किए हैं। जबकि द्वितीय पक्ष का कहना है कि वादगत भूमि उनका खतियानी भूमि है तथा प्रथम पक्ष खतियानधारी के वंशज में से नहीं है। वादगत भूमि का खतियान शंकर तुरी वल्द होरिल तुरी के नाम से इन्द्राज है जो द्वितीय पक्ष के परदादा लगते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने खतियानी रैयत के वंशज होने की दावा को पुष्टि हेतु नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित वंशावली प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार यह मामला उभय पक्षकारों के बीच स्वत्व(Title) से संबंधित हो जाता है। जिसका निष्पादन करना अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय क्षेत्राधिकार में नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तथा भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(4) के तहत इस वाद में सुनवाई हेतु आज अंतिम तिथि होने के कारण इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित
07/08/2025
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
डुमरी।

07/08/2025
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by Ashutosh Thakur
Date: 2025.08.21 13:09:26 +05:30
Location: 192.168.0.107